No. N-28011/02/2021-BC-III
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
*****

'A' WING, SHASTRI BHAWAN,
NEW DELHI-110001
Date: 28th January, 2025

ORDER

Section 22 of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (hereinafter referred to as "the Act") empowers the Central Government to frame rules to carry out the provisions of the Act. Section 20 of the Act further empowers the Central Government to regulate or prohibit the transmission or retransmission of any programme or channel, by an order, if it is not in conformity with the Programme/ Advertising Code referred to in the Act.

2. The Cable Television Network Rules, 1994 framed under the said Act have been amended vide GSR(E) dated 17.06.2021. Sub-rule (ii) of Rule 19 of the Cable Television Networks (Amendment) Rules, 2021 empowers the Central Government to establish an Inter-Departmental Committee for hearing grievances or complaints. The Rule 15 of the Cable Television Networks (Amendment) Rules, 2021 provides that in order to ensure observance and adherence to the Programme Code and the Advertising Code by the broadcaster and to address the grievance or complaint, if any, relating thereto, there shall be a three-level structure (complaint redressal structure) i.e. Level 1 - A self-regulation by broadcasters; Level II - Self-regulation by the self-regulating bodies of the broadcasters; and Level III - Oversight mechanism by the Central Government.

3. Further, Rule 20 of the Cable Television Networks (Amendment) Rules, 2021 empowers the Central Government to constitute an Inter-Departmental Committee, chaired by the Additional Secretary in the Ministry of information and Broadcasting, and consisting of representatives from the Ministry of Women and Child Development, Ministry of Home Affairs, Ministry of Electronics and Information Technology, Ministry of External Affairs, Ministry of Defence and representatives of such other Ministries and Organisations, including experts, as the Central Government may decide.

4. Accordingly, in supersession of earlier orders bearing No. N-28011/02/2021-BC-III dated 14.07.2021 and dated 14.10.2024, the Central Government, by the powers conferred under Section 20 of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995, hereby re-constitutes the Inter-Departmental Committee (IDC) as follows:

Special Secretary/ Additional Secretary,
Ministry of Information Broadcasting - Chairperson

Representative,
Ministry of Women & Child Development - Member

Representative,
Ministry of Home Affairs - Member

Representative,
Ministry of External Affairs - Member

Representative,
Ministry of Defence - Member

Representative,
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution - Member

Representative from Federation of Indian
Chambers of Commerce & Industry (FICCI) - Member

Representative from Confederation of Indian Industry (CII) - Member

Representative from Press Council of India - Member

Representative from Bar Council of India - Member

Joint Secretary/ Director/ Deputy Secretary,
Ministry of Information and Broadcasting - Member-Convener

(Note : The participating ministries may kindly ensure that the representative shall not be below the rank of Deputy Secretary/ Director)

4. IDC will meet periodically and hear complaints regarding violation or contravention of the Programme Code and the Advertising Code that may (i) arise out of appeal against the decisions taken at the Level I or Level II, as the case may be, or where no such decision is taken within the specified time; (ii) be referred to it by the Central Government.

5. The Inter-Departmental Committee shall devise its own procedure for hearing grievances or complaints.

6. The Inter-Departmental Committee shall examine complaints or grievances received by it and make any of the following recommendations to the Central Government, namely: -

(i) advising, warning, censuring, admonishing or reprimanding such broadcaster; or
(ii) requiring an apology of such broadcaster; or
(iii) requiring such broadcaster to include a warning card or a disclaimer; or
(iv) requiring such broadcaster to delete or modify content or take the channel or a programme off-air for a specified time period where it is satisfied that such action is warranted, for reasons to be recorded in writing.

7. The Central Government may, after taking into consideration the recommendations of the Committee, Issue appropriate orders and directions under sub-section (3) of section 20 of the Act for compliance by the broadcaster.

8. The Committee will also deal with violations of the Programme Code and Advertising Code on all DTH platforms.

Hindi version of this order will follow.

28.01.25

(Anubhav Singh)
OSD (BC)
Tele. 2338 6394

To,

All Members of the Inter-Departmental Committee

Copy to: Director (BP&L) for information and record.

Copy also to: Assistant Director (OL) for translation.

संख्या एन-28011/02/2021-बीसी-III
भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
*****

'ए' विंग, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110001
दिनांक: 28 जनवरी, 2025

आदेश

केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 22 केंद्र सरकार को अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है। अधिनियम की धारा 20 केंद्र सरकार को किसी भी प्रोग्राम या चैनल के प्रसारण या पुनः प्रसारण को विनियमित या प्रतिबंधित करने का अधिकार देती है, यदि वह अधिनियम में निर्दिष्ट कार्यक्रम/विज्ञापन संहिता के अनुरूप नहीं है।

2. उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 को दिनांक 17.06.2021 के जीएसआर (ई)द्वारा संशोधित किया गया है। केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 के नियम 19 का उप-नियम (ii) केंद्र सरकार को शिकायतों की सुनवाई के लिए एक अंतर-विभागीय समिति (आई.डी.सी) स्थापित करने का अधिकार देता है। केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 के नियम 15 में प्रावधान है कि प्रसारक द्वारा कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता का पालन सुनिश्चित करने और उससे संबंधित शिकायत, यदि कोई हो, का समाधान करने के लिए एक त्रिस्तरीय संरचना (शिकायत निवारण संरचना) होगी अर्थात् स्तर I - प्रसारकों द्वारा स्व-विनियमन; स्तर II - प्रसारकों के स्व-विनियामक निकायों द्वारा स्व-विनियमन; और स्तर III - केंद्र सरकार द्वारा निरीक्षण तंत्र।

3. इसके अलावा, केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 के नियम 20 में केंद्र सरकार को सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अपर सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर-विभागीय समिति गठित करने का अधिकार दिया गया है, और इस समिति में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि और विशेषज्ञों सहित ऐसे अन्य मंत्रालयों और संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिन्हें केंद्र सरकार निर्धारित करेगी।

4. तदनुसार, केंद्र सरकार के पिछले आदेश संख्या एन-28011/02/2021-बीसी-III दिनांक 14.07.2021 और दिनांक 14.10.2024 के अधिक्रमण में केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 20 के तहत प्रदत्त शक्तियों द्वारा, अंतर-विभागीय समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन करती है:

विशेष सचिव/अपर सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय	- अध्यक्ष
प्रतिनिधि, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	- सदस्य
प्रतिनिधि, गृह मंत्रालय	- सदस्य

प्रतिनिधि, विदेश मंत्रालय - सदस्य

प्रतिनिधि, रक्षा मंत्रालय - सदस्य

प्रतिनिधि, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय - सदस्य

प्रतिनिधि, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (एफ आई सी सी आई) - सदस्य

प्रतिनिधि, भारतीय उद्योग परिसंघ (सी आई आई) - सदस्य

प्रतिनिधि, भारतीय प्रेस परिषद (पी सी आई) - सदस्य

प्रतिनिधि, भारतीय विधिज्ञ परिषद (बी सी आई) - सदस्य

संयुक्त सचिव/निदेशक/उप सचिव,
सूचना और प्रसारण मंत्रालय - सदस्य-संयोजक

(नोट: सहभागी मंत्रालय कृपया यह सुनिश्चित करें कि प्रतिनिधि निदेशक/उप सचिव की श्रेणी से कमतर न हों)

4. आई.डी.सी समय-समय पर बैठक करेगी और कार्यक्रम संहिता तथा विज्ञापन संहिता के उल्लंघन अथवा अवहेलना से संबंधित ऐसी शिकायतों की सुनवाई करेगी, जो (i) स्तर-I या स्तर-II, जैसा भी मामला हो, पर लिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील से उत्पन्न हुआ हो; या जहां निर्धारित समय के भीतर ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया हो; (ii) केंद्र सरकार द्वारा इसे निर्दिष्ट किया गया हो।

5. अंतर-विभागीय समिति शिकायतों की सुनवाई के लिए स्वयं अपनी प्रक्रिया तैयार करेगी।

6. अंतर-विभागीय समिति प्राप्त शिकायतों की जांच करेगी और केंद्र सरकार को निम्नलिखित में से कोई सिफारिश करेगी, अर्थात: -

(i) ऐसे प्रसारक को सलाह देगी, चेतावनी देगी, सेंसर करेगी, भर्त्सना करेगी, फटकार लगाएगी; अथवा
(ii) ऐसे प्रसारक से क्षमा याचना अपेक्षित होगी; अथवा
(iii) ऐसे प्रसारक से चेतावनी कार्ड या खंडन अपेक्षित होगा; अथवा
(iv) ऐसे प्रसारक से सामग्री को हटाने अथवा संशोधित करने अथवा चैनल अथवा कार्यक्रम को निर्दिष्ट समय अवधि के लिए बंद करना अपेक्षित होगा जहां समिति इस बात से संतुष्ट है कि लिखित में दर्ज किए जाने हेतु ऐसी कार्यवाही आवश्यक है ।

7. केन्द्र सरकार,समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, प्रसारक द्वारा अनुपालन हेतु अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (3) के अंतर्गत उचित आदेशों और निर्देशों को जारी कर सकती है ।

8. समिति सभी डीटीएच प्लेटफार्मों पर कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता के उल्लंघनों से सम्बंधित मामलों का भी निपटारा करेगी |

अनुभव
28.01.25

(अनुभव सिंह)
ओएसडी (बीसी)
दूरभाषः 2338 6394

सेवा में,

अंतर-विभागीय समिति के सभी सदस्य

प्रतिलिपि : निदेशक (बीपीएंडएल) को सूचना एवं रिकार्ड हेतु।